भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या **842+**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 22 दिसम्‍बर, 2017/1 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है।

**मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की स्थिति**

**842. डा. विनय पी. सहस्‍त्रबुद्धे :**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के ‍कितने उपक्रम कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने उपक्रमों को कम से कम एक दशक से वित्‍तीय घाटा हो रहा है;

(ग) क्‍या पिछले तीन वर्षों में इन्‍हें लाभ कमाने वाले संगठनों में परिवर्तित करने के लिए कोई संरचित प्रयास किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्रयासों के साथ इनके प्रभाव के ब्‍यौरे क्‍या हैं; और

(ड.) क्‍या इन्‍हें लाभ कमाने वाले उपक्रमों में परिवर्तित करने के लिए इन संगठनों के कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्‍साहित करने हेतु पिछले तीन वर्षो के दौरान कोई प्रयास किये गए हैं और तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इनका क्‍या प्रभाव है? ‍

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क):** वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएययू) कार्य कर रहे हैं। पीएसयू के विभाग-वार ब्‍यौरे इस प्रकार है:

|  |  |
| --- | --- |
| **क्रम सं.** | **विभाग-वार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम** |
| **उर्वरक विभाग** | |
| 1 | ब्रहृमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) |
| 2 | फर्टिलाइजर एण्‍ड केमिकल्‍स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्‍ट) |
| 3 | **एफसीआई अरावली जिप्‍सम एण्‍ड मिनरल्‍स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)** |
| 4 | फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)  (सभी इकाइयां बंद पड़ी हैं) |
| 5 | हिन्‍दुस्‍तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)  (सभी इकाइयां बंद पड़ी हैं) |
| 6 | मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल) |
| 7 | नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) |
| 8 | प्रोजेक्‍ट्स एण्‍ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) |
| 9 | राष्‍ट्रीय केमिकल्‍स एण्‍ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) |
| **रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग** | |
| 10 | हिन्‍दुस्‍तान फ्ल्‍यूरोकार्बंस लिमिटेड (एचएफएल) |
| 11 | हिन्‍दुस्‍तान ऑर्गनिक केमिकल्‍स लिमिटेड (एचओसीएल) |
| 12 | हिन्‍दुस्‍तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) |
| 13 | ब्रहृमपुत्र क्रैकर एण्‍ड पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) |
| **औषध विभाग** | |
| 14 | कर्नाटक एंटिबायोटिक्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (केएपीएल) |
| 15 | राजस्‍थान ड्रग्‍स एण्‍ड फार्म्‍यस्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आरडीपीएल) |
| 16 | हिन्‍दुस्‍तान एंटिबायोटिक्‍स लिमिटेड (एचएएल) |
| 17 | बंगाल केमिकल्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (बीसीपीएल) |
| 18 | इंडियन ड्रग्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आईडीपीएल) |

**(ख):** पांच (05) पीएसयू विगत कम से कम एक दशक से वित्‍तीय हानि उठा रहे हैं। ये हैं हिन्‍दुस्‍तान ऑर्गनिक केमिकल्‍स लिमिटेड (एचओसीएल) और हिन्‍दुस्‍तान फ्ल्‍यूरोकार्बन्‍स लिमिटेड (एचएफएल), इंडियन ड्रग्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आईडीपीएल), बंगाल केमिकल्‍स एण्‍ड फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (बीसीपीएल) तथा हिन्‍दुस्‍तान एंटिबायोटिक्‍स लिमिटेड (एचएएल)।

**(ग) और (घ):** मंत्रालय ने उनको लाभ कमाने वाले संगठनों में परिवर्तित करने के लिए निम्‍नलिखित प्रयास किए हैं:

**हिन्‍दुस्‍तान ऑर्गनिक केमिकल्‍स लिमिटेड (एचओसीएल):**

एचओसीएल को अपनी कार्य पूंजी की आवश्‍यकता पूरी करने और कच्‍ची सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की देयताओं का समाधान करने, कर्मचारियों की बकाया धनराशि आदि के लिए बॉड जारी करने हेतु 2014-15 में कंपनी को भारत सरकार की गांरटी के रूप में 150 करोड़ रुपए मुहैया किए गए थे। इसने कंपनी की कोच्चि और रसायनी इकाइयों में विनिर्माण प्रचालन बहाल करने में सक्षमता प्रदान की। तथापि, उस समय पेट्रोलियम उत्‍पादों के मूल्‍यों में वैश्विक गिरावट के कारण फेनोल/एसिटोन के मूल्‍यों में भारी गिरावट हुई और कंपनी को लाभकारी दरों पर उत्‍पादों की बिक्री करने में और पर्याप्‍त कार्य पूंजी सृजित करने में कठिनाइयों का समाना करना पड़ा। इसके कारण कोच्चि और रसायनी इकाइयों में बार-बार प्रचालन बंद करने पड़े जिससे एचओसीएल का वित्‍तीय संकट और बढ़ गया। इस पृष्‍ठभूमि में, सरकार/सीसीईए ने 17.05.2017 को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की। पुनर्गठन योजना के कार्यान्‍वयन से कंपनी की अनेक बकाया देनदारियों का समाधान हो सकेगा और आर्थिक रूप से उत्‍पादक लाभकारी निवेशों के लिए भू-परिसम्‍पत्तियों का पुन: उपयोग किया जा सकेगा, जिससे नए रोजगार सृजन के अवसर सृजित होंगे।

**हिन्‍दुस्‍तान फ्ल्‍यूरोकार्बन्‍स लिमिटेड (एचएफएल):**

एचएफएल के संबंध में संशोधित पीटीएफई परियोजना के विकास हेतु तथा संयंत्र के नवीनीकरण तथा नई स्‍कीमों, जो पूरी हो चुकी हैं, के लिए 2014-15 में कंपनी को भारत सरकार द्वारा 16.80 करोड़ रुपए का योजनागत ऋण मुहैया कराया गया था। तथापि, कंपनी मुख्‍य रूप से बिक्री से प्राप्ति में कमी के कारण लगातार हानि उठा रही है। 2016-17 में सरकार सीसीईए ने एचएफएल को मूल कंपनी (एचओसीएल) के साथ कंपनी को पूरी तरह से बाहर निकलने हेतु कार्यनीतिक विनिवेश हेतु सिद्धान्‍तत: अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार/सीसीईए के उपर्युक्‍त निर्णय के कार्यान्‍वयन हेतु आवश्‍यक कार्रवाई की जा रही है। सक्षम प्राधिकरी के अनुमोदन की शर्त पर एचएफएल के विनिवेश से कंपनी के विस्‍तार और संवृद्धि हेतु नए निवेश का निधिकरण आयेगा।

**इंडियन ड्रग्‍स एवं फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (आईडीपीएल) बंगाल केमिकल्‍स एवं फार्मास्‍यूटिकल्‍स लिमिटेड (बीसीपीएल), हिन्‍दुस्‍तान एंटिबायोटिक्‍स लिमिटेड (एचएएल):**

सरकार ने आईडीपीएल और एचएएल को उनकी वित्‍तीय चुनौतियों से उबरने के लिए समय-समय पर पुनरुद्धार पैकेज तथा वित्‍तीय सहायता मुहैया कराई है। मंत्रिमंडल ने 28.12.2016 को हुई अपनी बैठक में आईडीपीएल एवं आरडीपीएल को बंद करने का निर्णय लिया है तथा एचएएल एवं बीसीपीएल को कार्यनीतिक बिक्री हेतु रखा है। इसके अतिरिक्‍त सीसीईए ने 01.11.2017 को अपनी बैठक में केएपीएल में भारत सरकार की 100% इक्विटी के कार्यनीतिक विनिवेश पर भी अनुमोदन प्रदान किया है।

**(ड.):** जी, हां। यद्यपि एचओसीएल और एचएफएल दोनों लगातार हानि होने के कारण कार्यशील पूंजी की अत्‍यंत कमी का सामना कर रहे हैं। कंपनियों ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के सभी प्रयास किए जाते है तथा वित्‍तीय संकट के बावजूद यथा-संभव उनके कल्‍याणार्थ प्रावधान किए जाते है। जबकि कंपनी द्वारा वित्‍तीय संकट का सामना करने के बावजूद एचओसीएल अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन देने में असफल रहा है फिर भी कर्मचारियों को 15 दिनों के वेतन और चिकित्‍सा उपचार हेतु अग्रिम, आवश्‍यकता आधार पर बच्‍चों को शिक्षा हेतु भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त एचओसीएल की पुनर्गठन योजना में कर्मचारियों का बकाया वेतन तथा वैधानिक देयताओं के भुगतान का प्रावधान है। एचएफएल के मामले में कंपनी द्वारा सभी कर्मचारियों को 80% वेतन का भुगतान करने का सुविचारित निर्णय लिया गया है ताकि संयंत्र के निरन्‍तर प्रचालनों के लिए पर्याप्‍त कार्यशील पूंजी की उपलब्‍धता सुनिश्चित हो और संयंत्र के प्रचालन बंद न हों।

\*\*\*\*\*\*\*\*